कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(69)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रं० : पी बी आर : 18

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2018/1332

श्री कमलेश श्रीवास्तव एड.
द्वारा
प्रस्तुत। 21/2/18
दिनांक ~~21-2-18~~
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

cf. 6/3/18

श्रीमती कृष्णादेवी पत्नि स्व० श्री रामस्वरूप जाति कायस्थ, निवासी बल्ला का डेरा, डबरा जिला ग्वालियर, म०प्र० --- प्रार्थी

बनाम

सुनीलकुमार पुत्र श्री हरदत्त मिश्रा, जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा ठाकुर बाबा रोड डबरा, जिला ग्वालियर, म०प्र० --- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय डबरा के प्रकरण क्रमांक 1943: 14-15: बी 121 वर्तमान सुनीलकुमार बनाम कृष्णादेवी, आदेश दिनांक 21-8-2017 जिसके द्वारा प्रार्थी को बगैर सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण निरस्त किया गया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/01332

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदिका द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय से आदेश दिनांक 21-8-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21-2-2018 को लगभग 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि आवेदिका को विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण स्पष्ट करना चाहिए था। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाहय होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	